एन.सी.ई.आर.टी.
डॉक्टोरल अध्येतावृत्तियाँ

सूचना विवरणिका

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
श्री अरविन्द मार्ग, नई दिल्ली- 110016
NATIONAL COUNCIL OF EDUCATIONAL RESEARCH AND TRAINING
SRI AUROBINDO MARG, NEW DELHI -110016

एन.सी.ई.आर.टी. डॉक्टोरल अध्येतावृत्तियाँ

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (एन.सी.ई.आर.टी.) शिक्षा के क्षेत्र में विशेषकर विद्यालय शिक्षा के गुणात्मक सुधार के लिए अपनी नीतियाँ एव प्रमुख कार्यक्रमों के प्रतिपादन और कार्यान्वयन में केन्द्र में मानव संसाधन विकास मंत्रालय को तथा राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों के शिक्षा विभागों को परामर्श व सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित स्वायत्त संगठन है । एन.सी.ई.आर.टी. के प्रमुख संघटक इकाइयां निम्नलिखित हैं: (1) राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान (एन.आई.ई.), नई दिल्ली; (2) केन्द्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान (सी.आई.ई.टी.), नई दिल्ली; (3) पंडित सुंदरलाल शर्मा केन्द्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान (पी.एस.एस.सी.आई.वी.ई.), भोपाल; (4) क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान,(आर.आई.ई.), अजमेर; (5) क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, भोपाल; (6) क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, भुवनेश्वर; (7) क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, मैसूर; और (8) उत्तर-पूर्व क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान (एन.ई.आर.आई.ई.), शिलांग। अपने अनेक कार्यकलापों में एन.सी.ई.आर.टी. और इसके संघटक इकाइयाँ विद्यालय शिक्षा से संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान, सहायता, प्रोत्साहन और समन्वय करते हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति - 2020 के मद्देनजर, एन.सी.ई.आर.टी. डॉक्टोरल फैलोशिप के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के एक नए समूह (Set) की पहचान की गई है। इन प्राथमिकता वाले क्षेत्रों से संबंधित शोध - प्रस्ताव को डॉक्टोरल अध्येतावृत्ति के लिए प्राथमिकता मिलेगी।

योजना के उद्देश्य :

(अ) विभिन्न विषयक परिप्रेक्ष्यों से शिक्षा के क्षेत्र में युवा अध्येताओं को अनुसंधान के अवसर प्रदान करना।

(ब) समकालीन संदर्भ में शिक्षा के ज्ञान आधार का निर्माण करना।

योजना का कार्यक्षेत्र :

एन.सी.ई.आर.टी. डॉक्टरल अध्येतावृत्ति योजना का उद्देश्य युवा अध्येताओं को शिक्षा और अन्य संबंधित विषयों में डॉक्टोरल शोध करने में सक्षम बनाना है। डॉक्टोरल अध्येता अपनी पसंद के किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/शोध संस्थान में शोधकार्य कर सकते हैं। एन.सी.ई.आर.टी. समस्या की संकल्पना करने में मौलिक चिंतन और स्कूली शिक्षा और शिक्षक शिक्षा से संबंधित शोध करने में नवाचारी कार्यप्रणाली के उपयोग को प्रोत्साहित करता है।

प्राथमिकता वाले क्षेत्र :

1. प्रारम्भिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा
   - शारीरिक-भौतिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, समाज-संवेगात्मक-नैतिक विकास, सांस्कृतिक विकास, संवाद के शिए प्रारंभिक भाषा, साक्षरता और

संख्यात्मक ज्ञान के विकास में अधिकतम परिणामों को प्राप्त करना है।

- ई.सी.सी.ई. के प्रस्ताव के दृष्टिकोण, सामग्री और कार्यप्रणाली
- आंगनवाड़ियों और पूर्व-प्राथमिक विद्यालयों से संबंधित अध्ययन जो कि प्राथमिक विद्यालयों और पूर्व-प्राथमिक विद्यालयों को एक साथ जोड़े हुए हों
- "प्रारंभिक कक्षा" या "बालवाटिका" से संबंधित अध्ययन
- खिलौना आधारित शिक्षाशास्त्र
- ई.सी.सी.ई. से संबंधित शिक्षक प्रशिक्षण

2. बुनियादी साक्षरता एवं संख्या-ज्ञान
    - बुनियादी स्तर पर पढ़ना, लिखना, बोलना और अंकगणित कौशल
    - निपुण भारत का कार्यान्वयन
    - साक्षरता और संख्यात्मक कौशल विकसित करने के दृष्टिकोण और कार्यप्रणाली
    - बच्चों का पोषण, मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण

3. ड्रॉप आउट बच्चो की संख्या कम करना और सभी स्तरो पर शिक्षा की सार्वभौमिक पहुँच सुनिश्चित करना
    - स्कूल छोड़ने वाले छात्रों को कम करने और सार्वभौमिक पहुंच बढ़ाने के लिए हस्तक्षेप
    - स्कूलों का बुनियादी ढांचा
    - शिक्षक और समुदाय की भागीदारी
    - छात्रों का सीखने का स्तर, विशेष रूप से सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित समूहों के लिए
    - समग्र शिक्षा और शिक्षा का अधिकार अधिनियम का कार्यान्वयन
    - स्कूलों की सुरक्षा
    - स्कूली शिक्षा और सीखने के वैकल्पिक तरीके

4. स्कूलों में पाठ्यक्रम और शिक्षाशास्त्र
    - नयी पाठ्यक्रम और 5+3+3+4 शिक्षाशास्त्र संरचना
    - शिक्षार्थियों का समग्र विकास सुनिश्चित करना
    - मुख्य दक्षताओं से संबंधित अध्ययन

- प्रयोगिक अधिगम का कार्यान्वयन (हाथ से सीखने, कला-एकीकृत और खेल-एकीकृत शिक्षा, कहानी-आधारित शिक्षाशास्त्र, आदि)
- योग्यता आधारित शिक्षण और सीखना
- पाठ्यक्रमों के चुनाव में लचीलापन
- बहुभाषावाद और मातृभाषा शिक्षा
- विषयों, कौशल और क्षमताओं का एकीकरण
- शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में भारतीय ज्ञान, संस्कृति और परंपराओं को शामिल करना
- पाठ्यपुस्तक अनुसंधान को कमियों की पहचान करने और कमियों को दूर करने पर ध्यान देना चाहिए
- शिक्षार्थियों के समग्र और अभिन्न विकास पर ध्यान केंद्रित करने वाली मूल्य शिक्षा
- समग्र, 360 डिग्री बहुआयामी मूल्यांकन
- प्रतिभाशाली बच्चों की शिक्षा

5. शिक्षक और शिक्षक शिक्षा :

- शिक्षक स्वायत्तता, जवाबदेही और कामकाज
- शिक्षकों का सतत् व्यावसायिक विकास और 21वीं सदी के कौशल के रुझान की रणनीतियाँ
- NEP-2020 के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सुधार करना और उन्हें महामारी के बाद की कक्षाओं के लिए तैयार करना
- स्कूली शिक्षा के विभिन्न चरणों के लिए बहु-विषयक और अंतर्विषयक समायोजन पर विचार करते हुए शिक्षक की तैयारी
- सेवाकालीन कार्यक्रमों की गुणवत्ता में सुधार करना
- शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक
- विशेष शिक्षकों की भूमिका और कार्य
- एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों का कार्यान्वयन और प्रभावशीलता
- SCERTs, DIETs, और BITEs की संरचना और कार्यप्रणाली
- शिक्षण के लिए शैक्षणिक दृष्टिकोण: नवाचार विद्यालयों में अपनाई जाने वाली शैक्षणिक प्रथाओं का दस्तावेजीकरण एक प्राथमिकता क्षेत्र होना चाहिए
- एन.ई.पी. (NEP) 2020 के अनुसार शिक्षक शिक्षा की आवश्यकता और आकांक्षा के संबंध में सामग्री और शिक्षाशास्त्र के संदर्भ में शिक्षक चयन परीक्षा का अध्ययन

- विभिन्न (केंद्रीय और राज्य संचालित) स्कूली शिक्षा प्रणालियों में शिक्षकों की स्थानांतरण और परिनियोजन नीतियां

6. समान और समावेशी शिक्षा: सभी के लिए अधिगम :
    - सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित बच्चों (जैसे महिलाएं और ट्रांसजेंडर व्यक्ति, एस.सी./एस.टी./ओ.बी.सी./अल्पसंख्यक, प्रवासी, ग्रामीण और शहरी गरीब, आदि) की शिक्षा।
    - विकलांग या दिव्यांग बच्चे।

7. स्कूल परिसर/समूह :
    - स्कूल परिसरों का कार्यान्वयन और प्रभावशीलता
    - प्रत्यायन प्रणाली

8. व्यावसायिक शिक्षा: व्यवसायों के लिए वरीयताएँ, व्यावसायिक शिक्षाधारा से मुख्यधारा की शिक्षा के लिए छात्रों की ऊर्ध्वाधर गतिशीलता, व्यावसायिक प्रदर्शन, कौशल प्रयोगशाला, व्यावसायिक और सामान्य शिक्षा में गतिशीलता।

9. शिक्षा में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का एकीकरण: स्कूल और शिक्षण शिक्षा में आई.सी.टी. एकीकरण, नई तकनीकों का कार्यान्वयन, शिक्षकों का प्रौद्योगिकी और व्यावसायिक विकास, शिक्षण-अधिगम में ई-सामग्री का उपयोग, स्कूली शिक्षा में विघटनकारी प्रौद्योगिकी।

10. वयस्क शिक्षा जिसमें सम्पूर्ण जीवन भर की कमाई, महत्वपूर्ण जीवन कौशल, व्यावसायिक कौशल विकास, बुनियादी शिक्षा, सतत शिक्षा, स्वयंसेवा, सामुदायिक भागीदारी आदि शामिल हैं।

11. वित्तीय साक्षरता और बौद्धिक संपदा अधिकार।

12. भारतीय परंपरा और संस्कृति पर आधारित शोध।

13. भारतीय परंपरा को आधुनिक तकनीक से जोड़ने वाली 21वीं सदी की आकांक्षा।

14. स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा के मध्य संपर्क।

15. बहुभाषिकता।

16. आकलन सुधार।

17. अधिगम-शिक्षण सामग्री।

पात्रता :

1. स्नातक और मास्टर डिग्री स्तर पर कम से कम 60% अंकों सहित उत्तम अकादमिक रिकार्ड।
2. आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी की आयु 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
3. पी.एच.डी. उपाधि के लिए किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय में पंजीकृत अथवा अपनी पी.एच.डी. के पंजीकरण हेतु कार्यरत अभ्यर्थी आवेदन के लिए पात्र है।
4. एन.सी.ई.आर.टी. के प्रतिमानकों के अनुसार एस.सी., एस.टी. और ओ.बी.सी. उम्मीदवारों के लिए छूट लागू।

अन्य शर्तें :

1. 10 अध्येतावृत्तियों में से कुल चार क्षेत्रीय शिक्षा संस्थानों (आर.आई.ई.) अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर और मैसूरू में प्रत्येक के लिए एक आरक्षित हैं। यदि चारों आर.आई.ई. में से कोई भी योग्य उम्मीदवार नहीं मिलता है तो अन्य किसी योग्य उम्मीदवार को अध्येतावृत्ति प्रदान की जाएगी ।
2. अध्येतावृत्तियाँ अत्याधिक सुपात्र अभ्यार्थियों के लिए सीमित होंगी। यदि उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हुए तो परिषद् सभी 10 अध्येताओं का चयन नहीं भी कर सकती है।
3. डॉक्टोरल अध्येतावृति के लिए आवेदन कर रहे आवेदक को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुमोदित उपयुक्त अवधि के लिए डाक्टोरल पूर्व अनुसंधान कार्यप्रणाली पाठ्यक्रम संपन्न अथवा ऐसे पाठ्यक्रम के लिए नामांकित/चयनित होना चाहिए। अनुसंधान कार्यप्रणाली पाठ्यक्रम के संपन्न होने और पीएचडी कार्य हेतु विश्वविद्यालय में पुष्टिकृत पंजीकरण के उपरान्त प्रारंभ होगी।
4. प्रत्येक अध्येता को प्रत्येक समसत्र के अंत में एक सेमिनार प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा।
5. एन.सी.ई.आर.टी. डाक्टोरल अध्येता द्वारा क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान शिक्षण कार्यक्रम क्षेत्र अनुसंधान और /अथवा वर्ष में 30 दिन के लिए एन.सी.ई.आर.टी. के पाठ्यचर्या विकास एवं पाठ्यपुस्तक विकास में योगदान देना अपेक्षित होगा । अध्येता को यात्रा हेतु तृतीय श्रेणी वातानुकुलित किराया तथा आर.आई.ई. छात्रावास में आवास प्रदान किया जाएगा।
6. डॉक्टोरल अध्येता द्वारा निमंत्रण मिलने पर अपने डाक्टोरल अनुसंधान कार्य से संबंधित सार्वजनिक हित के बड़े मुद्दो पर सार्वजनिक व्याख्यान देना बाध्यकारी होगा । यह सेमिनार आर.आई.ई. या एन.सी.ई.आर.टी. मुख्यालय में आयोजित होगा और इसके लिए अध्येता को यात्रा के लिए तृतीय श्रेणी वातानुकुलित का किराया दिया जाएगा।
7. अपने आवेदन के समय अभ्यर्थी अनुसंधान पर्यवेक्षक का जीवनवृत्त प्रस्तुत करेगा जिसमें गत पांच वर्ष में उसके द्वारा किया गया अनुसंधान कार्य स्पष्ट विदित होगा। आवश्यकता होने पर अभ्यर्थी को नए अनुसंधान पर्यवेक्षक को चुनने की सलाह देने का अधिकार एन.सी.ई.आर.टी. रखता है। अभ्यर्थी एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा अनुमोदित पर्यवेक्षक/अनुसंधान गाइड चुन सकता है। अंतिम तीन माह की

अध्येतावृत्ति और तृतीय वर्ष की आकस्मिकता राशि शोध प्रबंध (थीसिस) की प्राप्ति के उपरान्त ही जारी की जाएगी।

चयन प्रक्रिया :

लघु-सूचीबद्ध अभ्यर्थियों को साक्षात्कार-सह-प्रस्तुतीकरण के लिए उपस्थित होना होगा। इस प्रयोजन के लिए गठित विशेषज्ञ समिति की संस्तुति पर अंतिम चयन किया जाएगा। साक्षात्कार-सह-प्रस्तुतीकरण सेमिनार में भाग लेने के लिए अभ्यर्थियों को सबसे छोटे मार्ग के लिए द्वितीय (स्लीपर) श्रेणी के रेल किराए का भुगतान किया जाएगा।

स्थानों का आरक्षण :

विभिन्न वर्गों से संबंधित अभ्यर्थियों के स्थानों(सीटों) के आरक्षण के संवैधानिक प्रावधान उपलब्ध होंगे।

अध्येतावृत्ति की राशि :

एन.सी.ई.आर.टी. डॉक्टोरल अध्येताओं को प्रतिमाह रू.35,000/- (गैर-नेट) और रू.37,000/- (यू.जी.सी.-नेट अर्हता प्राप्त अभ्यर्थी) की अध्येतावृत्ति स्थायी पीएचडी पंजीकरण और एन.सी.ई.आर.टी. में चयन की तिथि से अधिकतम तीन वर्ष के लिए प्राप्त होगी। उन्हें इस अवधि के दौरान प्रतिवर्ष रू.10,000/- का आकस्मिकता अनुदान भी प्राप्त होगा। अध्येतावृत्ति अभ्यर्थी द्वारा एन.सी.ई.आर.टी. में स्थायी पीएचडी पंजीकरण और अनुसंधान पद्धति पाठ्यक्रम के दस्तावेज प्रस्तुत करने के उपरान्त कार्यग्रहण की तिथि से आरंभ होगी और कार्यग्रहण की तिथि तीन वर्ष के अंत में अथवा शोध प्रबंध (थीसिस) प्रस्तुत करने के साथ ही, जो भी पहले हो, से समाप्त हो जाएगी।

अध्येतावृत्ति का वितरण :

एन.सी.ई.आर.टी. मासिक अध्येतावृत्ति को अध्येता के बचत बैंक खाते में जमा करेगी। इसके लिए प्रत्येक अध्येता द्वारा भारतीय स्टेट बैंक में खाता रखना अपेक्षित होगा। अध्येता से तिमाही आधार पर एन.सी.ई.आर.टी. को 'उपस्थिति और संतोषजनक कार्य निष्पादन प्रमाणपत्र' प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा। दूसरी तिमाही से मासिक अध्येतावृत्ति का जारी किया जाना उक्त प्रमाणपत्र की प्राप्ति की शर्त पर होगा। किए गए वास्तविक खर्च, परन्तु अधिकतम रू.10,000/- प्रति वर्ष तक का वार्षिक प्रासंगिकता अनुदान अध्येता द्वारा प्रस्तुत विधिवत् प्रतिहस्ताक्षरित और पर्यवेक्षक एवं विभागाध्यक्ष द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित बिलों/वाउचरों की प्राप्ति एवं जांच के उपरान्त अध्येता के खाते में जमा किया जाएगा।

कार्य का अनुवीक्षण :

डॉक्टोरल अध्येताओं को अपने पर्यवेक्षक/विभागाध्यक्ष और अनुसंधान सलाहकार द्वारा विधिवत् अग्रेषित छमाही प्रगति रिपोर्ट एन.सी.ई.आर.टी. को प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित होगा। विशेषज्ञों की एक समिति प्रगति की समीक्षा करेगी। एक अनुसंधान गोष्ठी का भी वार्षिक आयोजन किया जाएगा जिसमें,

अध्येता अपने अनुसंधान की प्रगति को प्रस्तुत करेंगे। यदि यह रिपोर्ट असंतोषजनक पाई जाती है तो, एन.सी.ई.आर.टी. को किसी भी समय अध्येतावृत्ति समाप्त करने का अधिकार होगा।

अवकाश का नियम :

यूजीसी के कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति के मामले में निर्धारित अवकाश नियम लागू होंगे। इस अध्येतावृत्ति की अवधि के दौरान एन.सी.ई.आर.टी. डॉक्टोरल अध्येता किसी अन्य लाभकारी कार्य को स्वीकार नहीं करेंगे।

शोध का प्रकाशन :

पीएचडी डिग्री प्राप्त करने के बाद डॉक्टोरल अध्येताओं को शोध का एक हार्ड बॉन्ड प्रति (एक पेनड्राईव के साथ) एन.सी.ई.आर.टी. को जमा करना होगा। एन.सी.ई.आर.टी. पूरे कर लिए गए अनुसंधान का एक उचित रूप में प्रकाशन करने पर विचार करेगा। अध्येता अपने काम को कहीं और से प्रकाशित करवाने के लिए अनुमति हेतु आवेदन कर सकता है।

आवेदन प्रक्रिया :

आवेदन एन.सी.ई.आर.टी. वेबसाइट (**www.ncert.nic.in**) पर उपलब्ध निर्धारित फॉर्मेट में भरा जाना चाहिए। भरे गए आवेदन पत्रों के साथ प्रस्तावित अनुसंधान के शोध पर लगभग 1500 शब्दों का अवधारणा पत्र भेजा जाना चाहिए जिसमें, निम्नवत् के बारे में कथन समाविष्ट होने चाहिए : (अ) अध्ययन के तर्क एवं उद्देश्य, (ब) अवधारणात्मक रूपरेखा, (स) प्रस्तावित कार्यविधि, और (द) अध्ययन का संभावित योगदान। सभी अंकपत्रों/प्रमाणपत्रों और पीएचडी पंजीकरण के प्रमाण (यदि पहले से पंजीकृत हों) की अनुप्रमाणित प्रतियाँ आवेदन के साथ निम्नवत पते पर भेजी जानी चाहिए।

ऑनलाइन प्रक्रिया :

आवेदन एन.सी.ई.आर.टी. वेबसाइट (**www.ncert.nic.in**) पर ऑनलाइन उपलब्ध निर्धारित प्रपत्र में भरे जाने चाहिए। केवल ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किये जायेंगे।

आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि समाचार पत्रों एवं एन.सी.ई.आर.टी. की वेबसाइट पर विज्ञापन के प्रकाशन से एक महीना है।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
नई दिल्ली

पासपोर्ट आकार की अपनी नवीन फोटो लगाएँ

एन.सी.ई.आर.टी डॉक्टोरल अध्येतावृत्ति हेतु आवेदन – 2024

1. नाम: श्री/सुश्री...
2. जन्म तिथि..
3. यदि अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./शारीरिक रुप से दिव्यांग वर्ग/समान्य वर्ग से संबंध रखते हैं तो निर्दिष्ट करे..
4. पत्राचार हेतु पता..
   ....
   दूरभाष एवं ईमेल..
5. स्थाई पता..
   ....
   ....
   दूरभाष संख्या..
6. माता/पिता का नाम ....
   ....
7. शैक्षिक अर्हताएँ

उत्तीर्ण परीक्षाएँ	बोर्ड/ विश्वविद्यालय	वर्ष	विषय	श्रेणी/ग्रेड	अंकों का %

(संलग्न सर्टिफिकेट)

8. (क) अन्य अर्हताएँ...

....

(ख) कृप्या उस पाठ्यक्रम को निर्दिष्ट करें जहाँ आपने अनुसंधान क्रियाविधि का अध्ययन किया हो और उसकी अवधि भी निर्दिष्ट करें (यदि अनुसंधान पद्धति पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है तो प्रमाण पत्र संलग्न करें): ....

………………………………………………………………………………………

9. प्रकाशन/प्रस्तुतीकरण : ....

10. पी.एच.डी. पंजीकरण का विवरण :

अध्ययन का शीर्षक	विश्वविद्यालय (पूर्ण पते सहित)	विभाग/ संस्थान	दूरभाष एवं ईमेल सहित पर्यवेक्षक का नाम एवं पता	पंजीकरण की वास्तविक/ प्रत्याशित तिथि

*गाइड का विस्तृत जीवनवृत संलग्न करें।

11. अवधारणा प्रपत्र(कांसेप्ट पेपर)/ पी.एच.डी. संक्षेपण के सार का शीर्षक :

....
....
....
....
....

12. अनुसंधान के प्राथमिकता क्षेत्र :

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

13. आपने अनुसंधान के लिए यह विषय क्यो चुना? (अधिकतम 150 शब्दों में) :

14. अध्येतावृत्ति के लिए अपनी अभ्यार्थिता के समर्थन में अपने गुणों और कमजोरियों का विवरण दें (अधिकतम 150 शब्दों में)

स्थान: अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
दिनांक:

विश्वविद्यालय/संस्थान का प्रमाणपत्र

विश्वविद्यालय/संस्थान अभयार्थी को डॉक्टोरल अध्येतावृत्ति प्राप्त करने हेतु सभी सुविधाएँ प्रदान करने और एन.सी.ई.आर.टी डॉक्टोरल अध्येतावृत्ति के नियमानुसार उसका प्रबंधन करने पर सहमत है।

स्थान: विभाग/संस्थान का अध्यक्ष
दिनांक: मुहर

नोट: कृप्या आवेदन के साथ सभी अंकपत्र/प्रमाणपत्रों, पंजीकरण के प्रमाण (यदि पंजीकृत हो) और अधिकतम 1,500 शब्दों में अवधारणा प्रपत्र/साइनोप्सिस संलग्न करें, अनुसंधान कार्य का संक्षिप्त सार और पर्यवेक्षक का जीवनवृत संलग्न करें ।